(one 42)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांकः 67 /FP/UK/ROAD/8985/2014 दिनॉकःदेहरादूनः 06 जुलाई, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर मध्य–क्षेत्र)
25, सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय– जनपद–पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत डीडीहाट देवीछौना से जमतड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.112 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/8985/2014)

सन्दर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यूसीपी/06/12/2015/एफ0सी0/2712 दिनांक 31–03–2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पीएमजीएसवाई, पिथौरागढ़ के पत्रांक 118/03 पीएमजीएसवाई दिनांक 22–02–2019 **(प्रति संलग्न)** द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दुगने अवनत वन भूमि 16.224 है0 जमतड़ी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 37,36,557.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़ के पत्रांक 7025/सात–35/2016–2017 दिनांक 01–05–2017 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–पमस्यारी, पट्टी–देवीछौना, तहसील–डीडीहाट, जिला–पिथौरागढ़ सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया गया है। ग्राम–पमस्यारी सिविल सोयम भूमि के म्यूटेशन किये गये अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 56,75,498.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार जमा की गयी कुल धनराशि रू0 94,12,055.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि</u>

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

<u>संख्याः– 67 /FP/UK/ROAD/8985/2014 दिनॉकित</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पीएमजीएसवाई, पिथौरागढ

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

d/c